लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स लेटज बिल्ड एंजीकान प्राईवेट लिमिटेड, प्रस्तावकः प्रीती कुमारी, पताः 15 मदर टेरेसा मार्ग, उतर एस. के. पुरी, बोरिंग रोड, पटना द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट–08, ग्राम–रौन और तारका, अंचल–बेलागंज एवं खिजिरसराय, जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 19.07.2023 को अपराह्न 01:00 बजे अंचल कार्यालय, खिजिरसराय, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2319/2023, dated 22.02.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 19.07.2023 को अपराह्न 01:00 बजे अंचल कार्यालय, खिजिरसराय, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 17.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट–08, ग्राम–रौन और तारका, अंचल–बेलागंज एवं खिजिरसराय, जिला–गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा।

खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री गंगा प्रसाद यादव, पिताः श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, पताः तारका, जिलाः गया।	इनके द्वारा वायु प्रदूषण की रोक–थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। इसप्रकार श्री गंगा प्रसाद यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री निरंजन यादव, पिताः श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद यादव, पताः तारका, जिला–गया।	इनके द्वारा भी वायु प्रदूषण की रोक–थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। इसप्रकार श्री गंगा प्रसाद यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

3.	श्री गौतम कुमार, पताः तारका, जिलाः गया।	इनके द्वारा रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री मुरारी यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,
गया

अपर समाहर्त्ता,
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स लेटज बिल्ड एंजीकान प्राईवेट लिमिटेड, प्रस्तावकः प्रीती कुमारी, पताः 15 मदर टेरेसा मार्ग, उत्तर एस. के. पुरी, बोरिंग रोड, पटना (गया फल्गू नदी बालू घाट–08, ग्राम–रौन और तारका, अंचल–बेलागंज एवं खिजिरसराय, जिला–गया) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 19.07.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय, खिजिरसराय, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	संयुक्त पदाधिकारी जिला प्र. नि. पर्षद	[illegible] 19.7.23
3.	सचिन भारती खा. खनिज विकास पदा०	जिला खनन कार्यालय गया	[illegible]
4.	Amit Kumar 8126698100	~~[illegible]~~ Asst. Manager CSIPL Noida	[illegible]
5.	MAMTA CIRCLE OFFICER	CIRCLE OFFICE KHIZERSARAY	[illegible] 19/7/2023
6.	Rakesh Ranjan	L-P-15 AP colony Gaya	[illegible] 19/07/2
7.	संजय प्रसाद 9931756054	ग्राम–तरका	संजय प्रसाद
8.	विरेन्द्र यादव 7162341659	तारका	विरेन्द्र यादव
9.	मुकेश कुमार	तारका	मुकेश कुमार

10.	Ranjay Kumar	Vill- Tarka	[signature]
11.	जनजऊर्फ शकिला	ग्राम हसनपुर	[signature]
12.	Sanjay Kumar	रौना	[signature]
13.	पिन्टू पासवान	रौना	[signature]
14.	Rintu Kumar	~~तारका~~	[signature]
15.	पप्पु कुमार	तारका	Pappu
16.	Ranjit Kumar	8051804754. रौना	[signature]
17.	Sacchidanand	रौना	[signature]
18.	मन्टु कुमार	ग्राम, जोलबिगहा, गया	mantukumar
19.	सत्येन्द्र कुमार	ग्राम - रौना 7764945334	Somit
20.	नरेन्द्र कुमार 8002671574	ग्राम रौना, गया	नरेन्द्र कुमार

21.	गौतम कुमार 8409202906	तरका	Gautamkumar
22.	जितेन्द्र यादव	ग्राम - तारका, (गया	जितेन्द्र कुमार
23.	रौशन कुमार	ग्राम - तारका (गया)	रौशन
24.	रामदेव यादव	ग्राम हसनपुर	रामदेव यादव
25.	शशिभूषण कु०	ग्राम - [illegible]	Shibushan Kumar
26.	राकेश कुमार	रौना	Rakesh
27.	मनोज कुमार 8810288985	रौना	manoj kumar
28.	अजीत कुमार	तारका	Aseet kr
29.	कुन्दन कुमार	तारका	कुन्दन कुमार
30.	सुनील कुमार	तरका	सुनील कुमार
31.	मुन्ना कुमार	तरका	Munna

32.	Nitish Kr.	Rouna	[illegible]
33.	रंजन कुमार	Rou	[illegible]
34.	बनवारी जी	ग्राम- रौना, गया	
35.	[illegible] कुमार	रौना	[illegible]
36.	रणधीर कुमार	नरका	Radhir Kumar
37.	निरंजन कुमार	ग्राम- तारका, पंचायत- खिजरसराय, गया	
38.	Sudhir Kumar	रौना	Sudhir Kumar
39.	अरविन्द यादव	रौना	अरविन्द यादव
40.	भगवान पासवान	ग्राम - रौना, गया	
41.	सतीन्द्र यादव 9546432161	रौना	[illegible]
42.	अनुज कुमार	रौना 7294199041	Anuj Kr

43.	रंजीत कुमार 9092912822	ग्राम - बडकी केन्यारी सिकन्दर सराय - गया	रंजीत कुमार
44.	रवी कुमार 9939647279	ग्राम - सरका - गया	Ravi Kue
45.	भोलू कुमार	ग्राम तरका	Bholu
46.	आनन्द सिंह	ग्राम - सोंआ	Anand Sin
47.	राम प्रवेश कु०	ग्राम - सोना	[illegible]
48.	ओमप्रकाश	ग्राम तरका	omprakash
49.	भोला कुमार	[illegible]	भोला कुमार
50.	Karan Kumar	Ongmilence Cyberfly intem pvt ltd.	Karan Kr 19/7/23
51.			
52.			
53.			